प्रपत्र–2

भाग–2 (संबधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16	परियोजना या स्कीम की अवस्थिति	जनपद पौडी गढवाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119/534 किमी0 196.00 से 276.00 सतपुली–श्रीनगर तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण।
	i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र	उत्तराखण्ड
	(ii) जिला	पौड़ी गढ़वाल
	(iii) जिला वन प्रभाग	गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
	(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	32.553 हैक्टेयर
17	पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थितिः	आरक्षित वन भूमि–4.367 हे0, राजस्व वन भूमि–28.035 हे0 तथा वन पंचायत 0.151 है0 कुल 32.553 है0
18	अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौराः	
	(i) वन का प्रकार	आरक्षित/राजस्व/पंचायती
	(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व	0.4
	(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	प्रारूप–15 एवं 16 के अनुसार विभिन्न प्रजाति के 2406 वृक्ष प्रभावित होंगे। जिनमें से 199 वृक्ष बांज के भी प्रभावित हो रहे हैं।
	(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा	मोटर मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण।
19	भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू–वैज्ञानिक की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित स्थल हेतु दिये गये सुझावों के आधार पर मोटर मार्ग निर्माण के लिये भू–गर्भीय दृष्टिकोंण से उपयुक्त है।
20.	वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :	0.00 कि0मी0
21.	वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :	
	(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :	हिरन, तेंदुआ, बन्दर, घुरड़, काकड़ आदि वन्य जीव विद्यमान है।
	(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)	नहीं।
	(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	नहीं।
	(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)	नहीं।
	(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे	नहीं।

22.	क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)	नहीं।
23.	पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :	
	(i) क्या भाग– 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लि	हॉ।
	(ii) यदि नही तो वन भूमि के सिफारिश कि	––
24.	**किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :**	
	(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)	नहीं।
	(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही	
	(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)	नहीं।
25	**क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :**	
	(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिये पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।	अवनत आरक्षित वन भूमि अमेली VI क.सं. 1, अमेली VIII क.सं. 14, अमेली IX क.सं. 22 तथा ग्राम–निसणी, रौतेला, डोभल, चिल्लाह, मरोड़ा, पिनापिन्नी, सोनगडेरा की भूमि।
	(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।	––ऐ––
	(iii) क्षतिपूरक वनीकरण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।	हॉ।
	(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।	हॉ।
	(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :	2,41,47,946.00
	(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उप वन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।	हॉ।
26.	वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।	हॉ। (प्रारूप–5)
27.	स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों	जनहित में संस्तुति की जाती है।

स्थान पौड़ी गढ़वाल।
तारीख 18/09/2021

हस्ताक्षर नाम शासकीय मुद्रा
(मुकेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।